Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 20-2019/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 31, 2019 (MAGHA 11, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 जनवरी, 2019

संख्या 2821:- हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या पी.एफ.–69/2018/31430, दिनांक 13 नवम्बर, 2018 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 मे नियम 12क के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"12ख. बाह्य विकास प्रभारों के लिए लेखे का रख–रखाव, (धारा 3(3) (क) (ii)):-(1) बाह्य विकास प्रभार प्राप्त करने वाला निदेशक या कोई अन्य सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण ऐसी सभी प्राप्तियों के लिए विकास योजना–वार लेखा विवरणी का रख–रखाव करेगा। विकास योजना में दी गई किसी विशिष्ट परियोजना के लिए प्राप्त किए गए बाह्य विकास प्रभार, उक्त विकास योजना क्षेत्र में बाह्य विकास संकर्मो के प्रबन्ध के लिए उपयोग किये जाएंगे।

(2) यदि, निदेशक से भिन्न किसी सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बाह्य विकास प्रभारों के लिए राशि प्राप्त की गई है, तो ऐसे सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण, उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि के लिए विकास–योजना वार लेखा विवरणी का रख रखाव करने के लिए जिम्मेवार होंगे।

(3) ऐसी लेखा विवरणी मासिक आधार पर अद्यतन की जाएगी तथा सभी सम्बन्धितों की जानकारी के प्रयोजन के लिए नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग तथा सम्बद्ध सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण की वैबसाइट पर रखी जाएगी"।

ए. के. सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 31st January, 2019

No. 2821.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 24 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975) and with reference to the Haryana Government, Town and Country Planning Department, Notification No. PF-69/2018/31430, dated the 13th November, 2018, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Rules, 2019.

2. In the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, after rule 12A, the following rule shall be inserted, namely:-

"12B. Maintenance of account for External Development Charges (Section 3(3)(a)(ii))*;- (1) The Director or any other Government agency or local authority receiving external development charges shall maintain a development plan-wise account statement for all such receipts. The external development charges received against any specific project in a given development plan shall be utilised for provision of external development works in the said development plan area.*

2. In case, the amount is received against external development charges by any Government agency or local authority other than the Director, it shall be the responsibility of such Government agency or local authority to maintain the development plan wise account statement for the amount received by them.

3. Such account statement shall be updated on monthly basis and hosted on the website of the Town and Country Planning Department and the concerned Government agency or local authority for the purpose of information of all concerned."

A. K. SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.

8541—C.S.—H.G.P., Pkl.